संपादकीय जागरण

बुधवार, 19 सितंबर, 2018 : भाद्रपद शुक्ल 10 वि. 2075

जीवन की सार्थकता लोक-कल्याण से पूर्ण होती है

जानलेवा सड़कें

सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लेकर बिल्कुल सही किया कि बीते वर्ष सड़कों पर गड्ढों के कारण साढ़े तीन हजार से अधिक लोगों की मौत हुई, क्योंकि राज्य सरकारें इसके प्रति तनिक भी चिंतित नहीं कि सड़कों के गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। इसका प्रमाण इससे मिला कि केंद्र सरकार की ओर से जुटाए गए आंकड़ों को स्वीकार करने के बजाय राज्य सरकारों ने उनसे कन्नी काटने की कोशिश की। कुछ राज्यों ने तो यह तर्क दिया कि उनके परिवहन विभाग ने इन आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया है। यह तर्क असत्य के सहारे जिम्मेदारी से बचने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं। क्या राज्य सरकारें यह कहना चाहती हैं कि उनके अधिकारियों ने बिना किसी जांच-परख के सड़कों पर गड्ढों के कारण होने वाली मौतों का विवरण केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को उपलब्ध करा दिया? यदि वास्तव में ऐसा कुछ है तो यह गैर जिम्मेदारी की पराकाष्ठा है। दुर्भाग्य से ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिचय सड़कों का रखरखाव करने में भी दिया जा रहा है और यही कारण है कि महज एक वर्ष में सड़कों पर गड्ढों की वजह से 3,597 लोग काल के गाल में समा गए। इन मौतों के लिए राज्यों के लोक निर्माण विभाग और सड़कों का निर्माण करने वाले अन्य विभाग ही जिम्मेदार हैं। चूंकि जिम्मेदार लोग जवाबदेही से मुक्त हैं इसलिए अपने देश में सड़कें कुछ ज्यादा ही बदहाल होती हैं। समझना कठिन है कि राज्य सरकारें सड़कों का निर्माण करने वाले विभागों को जवाबदेह बनाने के लिए क्यों नहीं तैयार? हैरत नहीं कि इसका कारण यह हो कि केंद्र सरकार भी अपने लोक निर्माण विभाग को राजमार्गों की बदहाली के लिए पर्याप्त जवाबदेह नहीं बना पा रही है।

कई बार सड़कें बनते ही गड्ढा युक्त होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन सरकारी अमला उनकी सुध नहीं लेता और आम जनता को यह पता ही नहीं होता कि वे बदहाल सड़कों की शिकायत कहां और किससे करें? यदि कभी संबंधित विभाग या सक्षम अधिकारी का पता-ठिकाना खोजकर शिकायत की भी जाती है तो कोई सुनने वाला नहीं होता। नतीजा यह होता है कि गड्ढे वाली सड़कें जल्द ही चलने काबिल नहीं रह जातीं, लेकिन तमाम जोखिम के बाद भी उनका इस्तेमाल करना छोड़ा नहीं जा सकता। दरअसल इन्हीं स्थितियों में वे जानलेवा साबित होती हैं। राज्य सरकारें किस तरह सड़कों के रखरखाव को लेकर गंभीर नहीं, इसका पता इससे भी चलता है कि उन्होंने धन की कमी का रोना रोया। आखिर बनी-बनाई सड़कों को फिर से बनाने में धन की कमी क्यों नहीं आड़े आती? क्या ऐसी सड़कें नहीं बनाई जा सकतीं जो चार-छह साल मरम्मत की मांग न करें? बेहतर हो कि सुप्रीम कोर्ट इसकी तह तक जाए कि आखिर वही-वही सड़कें हर साल क्यों बनती रहती हैं और क्या कारण है कि फुटपाथ बेवजह बार-बार दुरूस्त होते रहते हैं? यदि इस सवाल का जवाब ईमानदारी से तलाशा जाए तो भारी भ्रष्टाचार के तौर-तरीकों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण के अनवरत सिलसिले की ढंग से कोई जांच हो सके तो शायद सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आए।

सरकारी धन का दुरुपयोग

मानसून विदा हो रहा है। राज्य सरकार को अब उन सड़कों की फिक्र प्राथमिकता के आधार पर करनी चाहिए जो अपनी घटिया निर्माण गुणवत्ता के कारण बारिश की धार नहीं झेल पाईं और गड्ढों में तब्दील हो गईं। ऐसी सड़कें अब जानलेवा साबित हो रही हैं। गड्ढों की वजह से राजमार्गों से लेकर सामान्य सड़कों पर प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं। तमाम लोग जान गंवा रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार को अभियान चलाकर सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करना चाहिए। कुछ अधिकारियों का यह तर्क आधारहीन है कि बरसात में सड़कों पर गड्ढे हो जाना स्वाभाविक है। यदि इसे सही मान लिया जाए तो ये अधिकारी उन सड़कों के बारे में क्या कहेंगे जो बारिश के बावजूद गड्ढामुक्त हैं।

> सड़कों को गड्ढामुक्त करने के नाम पर अधिकारियों ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया होगा अन्यथा सड़कें इतनी जल्दी जर्जर नहीं हो सकतीं

जगजाहिर है कि सड़कों के निर्माण, खासकर उनके रखरखाव और गड्ढामुक्त करने की कवायद में बड़े पैमाने पर घपलेबाजी होती है। अधिकारियों को जवाब देना चाहिए कि बरसात शुरू होने से पहले जो सड़कें करोड़ों रुपये फूंककर गड्ढामुक्त की गई थीं, वे इतनी जल्दी गड्ढों में कैसे तब्दील हो गईं? जाहिर है कि सड़कों को गड्ढामुक्त करने के नाम पर अधिकारियों ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया होगा अन्यथा सड़कें इतनी जल्दी जर्जर नहीं हो सकतीं। राज्य सरकार की इस घपलेबाजी को उजागर करने में रुचि हो तो किसी पारदर्शी एजेंसी से सभी सड़कों का ऑडिट कराया जाना चाहिए। अतीत में ऐसे प्रकरण सामने आ चुके हैं कि सड़कों की मरम्मत के नाम पर गड्ढों को कच्ची मिट्टी से भर दिया गया।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आप पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के बयान से सहमत हैं कि रवि शास्त्री को कोच पद से हटा दिया जाना चाहिए?

आज का सवाल

क्या स्मार्ट फेंस द्वारा सीमापार से होने वाली घुसपैठ पर अंकुश लगेगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

नेपाल में नए खतरे की आहट

ब्रह्मा चेलानी

नई दिल्ली को नेपाली कम्युनिस्टों की इस धारणा को तोड़ना चाहिए कि वे भारत को आंखें भी दिखाते रहें और उन्हें इसकी कोई कीमत भी न चुकानी पड़े

कम्युनिस्ट शासन वाले नेपाल से जुड़े कुछ घटनाक्रम उसके चीन की ओर झुकाव का संकेत करते हैं। ये संकेत भारत के लिए खतरे की घंटी हैं। भारत नेपाल में की गई गलती का खामियाजा भुगत रहा है। नेपाल में संवैधानिक राजवंश को खत्म कर वहां कम्युनिस्ट वर्चस्व स्थापित कराकर भारत ने बड़ी भूल की, जिसकी वह आज कीमत चुका रहा है। प्रतीकात्मक रूप से नेपाल भारत के करीब माना जाता है, लेकिन आज वहां मुखर रूप से चीन समर्थक सरकार सत्ता में है जो गाहे-बगाहे भारत को आंखें दिखाती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेपाल के नए प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद ओली को लुभाने की कोशिश के बावजूद वह अपनी चीन हितैषी नीतियों पर अड़े हैं। ओली सरकार ने एक ओर बिम्सटेक समूह के तहत पहली बार किए जा रहे आतंक विरोधी सैन्य अभ्यास से कदम पीछे खींच लिए तो दूसरी ओर भारतीय हितों की अनदेखी कर चीन के साथ एक पारगमन परिवहन का अनुबंध किया। शुरुआत में नेपाल ने 'मिलेक्स 2018' नाम से होने वाले सैन्य अभ्यास के लिए सैन्य दस्ता भेजने पर सहमति जताई थी। काठमांडू में बिम्सटेक सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के भाषण में इसका उल्लेख भी था। इसके साथ ही नेपाल मिलेक्स 2018 के समापन समारोह में अपने सैन्य प्रमुख जनरल पूरण चंद्र थापा को भी भेजने वाला था, परंतु शक्तिशाली चीनी लॉबी के दबाव में उसने इस फैसले को पलट दिया। इस लॉबी में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा है। ओली सरकार ने एक तरह से भारत को कूटनीतिक पटकनी दी। नेपाल ने जहां मिलेक्स 2018 में शिरकत करने से कन्नी काट ली वहीं वह चीन के साथ साझा सैन्य अभ्यास करने को तैयार हो गया। यह अभ्यास भी आतंक विरोधी अभियान पर केंद्रित है। इसका अर्थ यही है कि ओली सरकार को चीन के साथ सैन्य अभ्यास से कोई गुरेज नहीं, लेकिन वह भारत के साथ सहज नहीं।

बिम्सटेक के लिए नेपाल गए प्रधानमंत्री मोदी का बीते चार वर्षों में यह चौथा नेपाल दौरा था। किसी भी अन्य भारतीय प्रधानमंत्री ने नेपाल को इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन मोदी को स्वदेश लौटे हुए कुछ वक्त भी नहीं बीता था कि ओली सरकार ने नेपाल-चीन पारगमन परिवहन अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। भौगोलिक स्थिति के कारण नेपाल भारतीय बंदरगाहों पर ही निर्भर है। जहां नेपाल से कोलकाता की दूरी 933 किलोमीटर है वहीं सबसे करीबी चीनी बंदरगाह भी नेपाल से 3,300 किमी दूर है। हालांकि पारगमन अनुबंध के जरिये नेपाल भारत पर पूरी तरह से निर्भरता खत्म करने की मंशा नहीं पाले हुए है। इसके बजाय वह भारत की भौगोलिक लाभ वाली स्थिति को कमजोर करने के साथ ही पारगमन में उसके वर्चस्व को तोड़ना चाहता है। उक्त समझौते के जरिये ओली सरकार भारत-नेपाल सीमा पर होने वाले गतिरोध का तोड़ निकाल रही है जो नेपाल में भारत समर्थित मधेसी कार्यकर्ताओं के कारण पैदा होता है। इस साल मई में भी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल का आधिकारिक दौरा किया था। नेपाल में धन-बल इस्तेमाल करने की चीनी कोशिशों के उलट मोदी का गर्मजोशी भरा दौरा भारत और नेपाल के ऐतिहासिक रूप से करीबी सांस्कृतिक, धार्मिक एवं व्यक्तिगत संबंधों का स्मरण कराने पर केंद्रित था। मोदी के भारत लौटने के पांच दिन बाद ही चीन के सहयोग से वहां एक नई एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनसीपी की स्थापना हुई जिसमें ओली की मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी और माओवादी समूहों को विलय हो गया। पहले तो बीजिंग ने इस एकीकृत पार्टी के जन्म में भूमिका निभाई और फिर इस पूरे घटनाक्रम की सराहना की।

अवधेश राजपूत

नेपाली कम्युनिस्टों को मिली शांतिपूर्ण जीत ने उनका हिंसक अतीत भुलाने में मदद की है। ओली 1970-80 के दशक में जेल की सजा काट चुके हैं। उन्हें गुरिल्ला कम्युनिस्ट के तौर पर नेपाली राज्य के खिलाफ लड़ाई छेड़ने के जुर्म में कैद किया गया था। देश से राजशाही खत्म करने के लिए माओवादियों ने 1996 में 'जन क्रांति' के जरिये खूनी बगावत की। इसके एक दशक बाद भारत ने माओवादियों और सरकार के बीच शांति समझौता कराया। माओवादियों की मुख्य मांग राजशाही को खत्म करने की थी। उनके उन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों से गहरे रिश्ते थे जिनके समर्थन के बूते मनमोहन सिंह सरकार टिकी हुई थी। भारत द्वारा की गई इस भारी भूल ने कम्युनिस्टों को बहुत ताकतवर बना दिया। भारत ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र से चीन की ओर झुकाव वाले कम्युनिस्ट शासित देश में बदल दिया। नई एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी की अब नेपाल में तूती बोल रही है। सभी सरकारी संस्थानों में उसका बोलबाला है। नेपाल को साधे रखने में बीजिंग पूरी तरह से सक्रिय है। वहां चुनावों से पहले बीजिंग ने कथित रूप से धड़ों में बंटे कम्युनिस्टों को एकजुट करने और उनके चुनाव अभियान को वित्तीय मदद भी मुहैया कराई।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सहित अधिकांश कम्युनिस्ट दलों ने हिंसक तौर-तरीकों से ही सत्ता हथियाई है। फिलहाल दुनिया में कम्युनिस्ट शासन वाले छह देश हैं जिनमें से नेपाल इकलौता है जहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार है। आज यक्ष प्रश्न यह है कि क्या नेपाली कम्युनिस्ट सरकार लोकतंत्र को जीवंत रखेगी या चरणबद्ध रूप से उसका गला घोंटेगी? क्या वह चेकोस्लोवाकिया का अनुसरण करेगी जहां 1946 में चुनावों के जरिये कम्युनिस्ट सत्ता में आए। 1948 तक चेकोस्लोवाक कम्युनिस्टों ने सरकार का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेकर लोकतंत्र का दम ही घोंट दिया।

नेपाली प्रधानमंत्री पहले से ही संस्थानों की स्वायत्तता के पर कतरने के साथ ही वहां अपने वफादारों को नियुक्त करने में जुटे हैं। कम्युनिस्टों के पास संसद में लगभग दो-तिहाई बहुमत के साथ ही सात में से छह राज्यों में सरकार है। सभी संवैधानिक एवं अन्य प्रमुख पदों पर कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट काबिज होते जा रहे हैं। न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग तक में उन्हें समायोजित किया जा रहा है। अगर व्यवस्था पर प्रहार का यही सिलसिला कायम रहा तो नेपाल चेकोस्लोवाकिया की तरह एकल पार्टी वाला तंत्र बन जाएगा। कमजोर विपक्ष, दब्बू न्यायपालिका और दबंग कार्यपालिका नेपाल में निरंकुश शासन की जमीन तैयार कर रही है।

नेपाल के आंतरिक घटनाक्रम का भारतीय सुरक्षा से सीधा सरोकार है। आखिरकार भारत और नेपाल दुनिया में सबसे लंबी खुली सीमाओं में से एक साझा करते हैं, जहां पासपोर्ट के बिना ही आवाजाही होती है। खुली सीमा से नेपाल भारतीय सुरक्षा के लिए अहम बन जाता है। नेपाल में चीन की लगातार बढ़ती पैठ और नेपाल के बीजिंग की ओर बढ़ते झुकाव के भारतीय सुरक्षा के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। भारत को नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्टों के प्रति नरम रवैया त्यागकर उन्हें अपने हितों का विरोधी मानना चाहिए। नई दिल्ली को नेपाली कम्युनिस्टों की इस धारणा को तोड़ना चाहिए कि वे भारत को आंखें भी दिखाते रहें और उन्हें इसकी कोई कीमत भी न चुकानी पड़े। भारत के पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी उसके हितों को नुकसान पहुंचा रही है।

(लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)

response@jagran.com

अनदेखी का शिकार बनते सफाईकर्मी

केसी त्यागी

हाथों से सीवर की सफाई पर पूरी तरह रोक लगाकर स्वच्छ भारत अभियान को सही मायने देने का वक्त आ गया है

देश की राजधानी दिल्ली में सीवर साफ करते समय एक और सफाई कर्मी की जान चली गई। एक आंकड़े के अनुसार बीते एक सप्ताह में सीवर साफ करने के दौरान मरने वाले सफाई कर्मियों की संख्या छह तक पहुंच गई है। बीते सप्ताह दिल्ली में ही एक निजी आवासीय सोसायटी में बचाव उपकरणों के बिना गहरे सीवर की सफाई करने के दौरान चार सफाई कर्मियों की मौत हो गई थी। इस तरह की खबरें मानवता के प्रति हमारी संवेदनहीनता को ही उजागर नहीं करतीं, बल्कि समय-समय पर संवैधानिक कानूनों के हनन का उदाहरण भी पेश करती हैं। अफसोस है कि स्वच्छता अभियान के तमाम दावों के बीच समाज को शर्मसार करने वाली ऐसी घटनाएं दिल्ली जैसे शहर में भी रह-रह कर घट रही हैं। छोटे-बड़े सभी शहरों के आवासीय-कार्यालय परिसरों के सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए ठेकेदारों द्वारा 500-600 रुपये के लालच में अकुशल सफाई कर्मियों को बिना बेल्ट, मास्क, टॉर्च और अन्य बचाव उपकरणों के ही 10-15 मीटर गहरे टैंकों में उतार कर सफाई प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। पैसों के लालच में सफाई मजदूर अपनी जान पर खेलकर चैंबरों में उतरने का जोखिम उठाते हैं, जहां कई बार अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाईऑक्साइड आदि जहरीली गैसों से उनकी मौत हो जाती है।

यह चिंताजनक है कि सफाई कर्मियों की मौतों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। पिछले वर्ष अगस्त माह में तीन अलग-अलग स्थानों पर छह सफाई कर्मियों की मौत सरकारी ध्यानाकर्षण का केंद्र अवश्य बनी, लेकिन अमानवीय और असुरक्षित तरीके से सफाई कार्य बेरोक-टोक जारी रहा। एक आंकड़े के तहत पिछले दस वर्षों में सफाई के दौरान केवल मुंबई नगर निगम के 2721 सफाई कर्मियों की मौत हुई है। ऐसी ही मौतें अन्य शहरों में भी हुई हैं। इस स्थिति में सवाल यह है कि क्या नगर निगम जैसी सरकारी संस्थाएं भी अदालती निर्देशों से अनभिज्ञ हैं या फिर केंद्र और राज्य सरकारें न्यायालय के निर्देशों का पालन करने-कराने में असमर्थ हैं? यह सवाल इसलिए, क्योंकि समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से सख्त निर्देश आते रहे हैं कि सफाई कर्मियों की जान जोखिम में डालने से बचा जाए। पिछले वर्ष जुलाई में मद्रास उच्च न्यायालय की ओर से केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार को हाथ से मैला ढोने वाली चल रही प्रथा पर सख्त नजर रखने का निर्देश दिया गया था। कहना कठिन है कि इसका अपेक्षित असर हुआ। लगभग आठ वर्ष पूर्व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी राज्यों को सफाई कर्मियों को सुरक्षा उपकरणों से लैस करने और इस संबंध में मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों पर सख्ती से पालन का निर्देश दिया गया था। इसी तरह सितंबर 1993 को मैला ढोने और शुष्क शौचालयों के निर्माण पर रोक लगाने वाला कानून बनाया गया था। मैला ढोने जैसे रोजगार पर निषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 के खंड-7 के तहत सेप्टिक टैंकों की सफाई जैसे खतरनाक कार्य करने पर प्रतिबंध है। मौजूदा कानून के अंतर्गत इस तरह के सफाई कार्य और शुष्क शौचालयों का जारी रहना संविधान की धारा 14, 17, 21 और 23 का उल्लंघन है।

इन कानूनों के बावजूद एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे कामों में लगे हुए हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 2013 का कानून पूरी तरह लागू करने, सीवर-टैंकों की सफाई के दौरान हो रही मौतों पर काबू पाने, मरने वालों के आश्रितों को दस लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। अफसोस कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश भी कागजों तक सीमित रह गए। 2011 के आर्थिक-सामाजिक और जातिगत जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार आठ लाख भारतीय सिर पर मैला ढोने का काम करते हैं। इससे उन्हें सामाजिक भेदभाव के दंश भी झेलने पड़ते हैं। यह एक सच्चाई है कि आज स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन सफाई कर्मियों की दर्दनाक मौतें स्वच्छता अभियान की उपलब्धियों को फीका करती हैं। गत वर्ष जब चंपारण सत्याग्रह की सौवीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेशों को खूब प्रचारित किया गया। अच्छा होता कि उन संदेशों पर अमल भी होता। गांधीजी अपनी गंदगी खुद साफ करते थे। यही शर्त साबरमती आश्रमवासियों के लिए भी थी। यह दुखद है कि गांधीजी के सपनों के भारत में सफाई का काम एक वर्ग विशेष पर थोपा जा रहा है। मैकेनिकल प्रक्रिया के अभाव में शौचालयों और सीवर की सफाई हाथों से ही होती है।

2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में शुष्क शौचालयों की संख्या लगभग 26 लाख थी और लगभग 14 लाख शौचालयों की गंदगी खुले में प्रवाहित होती थी। इनमें आठ लाख से अधिक शौचालयों की सफाई हाथों द्वारा की जाती थी। सीवर की सफाई के दौरान वहां की जहरीली गैसों से सफाई कर्मियों को जलन, सांस, उल्टी, सिरदर्द, संक्रमण और हृदय रोग की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह ठीक नहीं कि तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद यह अमानवीय प्रथा जारी है। राज्य सरकारों द्वारा भी इस दिशा में किए गए प्रयास विफल ही साबित हुए हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में स्थिति अधिक बदतर है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आए दिन सफाई कर्मियों की मौत से जुड़ी खबरें सामने आती हैं, लेकिन ऐसे कार्यों में संलिप्त ठेकेदारों की गिरफ्तारी की खबर मुश्किल से ही आती है। कानूनी प्रावधानों के बावजूद सीवर टैंकों की सफाई के दौरान हुई मृत्यु के बाद आश्रितों को मुआवजे तक से वंचित रह जाना, पुनर्वास की व्यवस्था में अनियमितता और सफाई कर्मियों के लिए अन्य रोजगार सृजन में नाकामी संस्थागत कमियों के नमूने हैं।

आज देश की स्वच्छता हमारे सबसे बड़े अभियानों में सबसे महत्वपूर्ण है। इस सूरत में यह समझना होगा कि देश के शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों के करोड़ों शौचालय अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से नहीं जुड़े हैं और उनकी सफाई के लिए कोई मैकेनिकल प्रक्रिया भी प्रचलन में नहीं है। सीवर सफाई के लिए कर्मचारियों को गैस प्रूफ फुल बॉडी सूट, एयर पाइप, हेलमेट आदि प्राथमिक उपकरण भी उपलब्ध नहीं हैं। मैकेनिकल तरीके से नाले-टैंकों की सफाई ही जान बचाने का एकमात्र विकल्प है। मौजूदा सरकार जनहित की कई योजनाओं को लेकर आई है। अब वक्त आ गया है कि सरकार मैला ढोने और हाथों से सीवर की सफाई पर पूरी तरह रोक लगाकर स्वच्छ भारत अभियान को संपूर्ण मायने में चरितार्थ करे।

(लेखक जनता दल-यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

शुद्धि

शुद्धि के बगैर सिद्धि संभव नहीं है। तभी तो हमारे दैनिक जीवन में पवित्रता का विशेष महत्व है। साधना की पहली सीढ़ी है-शुद्धि। यानी यम और नियम का पालन। जीवन में जितनी पवित्रता होती है, जीवन का उत्कर्ष भी उतना ही होता है। शुद्धि से तात्पर्य मात्र शरीर का नहीं है, बल्कि मन, प्राण और भाव-विचार के साथ-साथ हमारा अंतःकरण भी निर्मल होना चाहिए। शुद्धि का प्रारंभ समता से होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति धीरे-धीरे अज्ञान व अंधकार के आवरण से पार पाता है। इस शुद्धि के फलस्वरूप मन की शांति, चित्त की स्थिरता और प्राण की एकाग्रता व हृदय की तन्मयता का प्रादुर्भाव स्वभावतः होने लगता है।

आनंद का अवरोहण भी तभी संभव होता है। शुद्धि से आत्मा विभिन्न वासनाओं और आकर्षणों से मुक्त होती है। सिद्धि प्राप्ति से पहले की प्रारंभिक अवस्था शुद्धि है। शुद्ध भावों वाला व्यक्ति ही परमात्मा को भी प्रिय होता है। उसके पूजन-अर्चन व प्रार्थना में शुचिता यानी पवित्रता का विशेष महत्व है। आचार-विचार के साथ-साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे व्यापार में पैसे के लेन-देन और नौकरी आदि में ईमानदारी व कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बने रहना भी पवित्रता की ही श्रेणी में आते हैं। व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, वह वहां रहते हुए ही पवित्रता का ध्यान रख सकता है। पवित्रता को नित्य-प्रतिदिन की दैनिक चर्या में रखकर हम अपना बौद्धिक स्तर तो उत्तम बना ही सकते हैं, साथ ही स्वयं सुखी रहते हुए अन्य लोगों को भी इस राह पर अग्रसर कर सकते हैं।

पवित्रता जीवन का मूल आधार है। आज समाज में जो नैतिक पतन हो रहा है, उसका एक खास कारण शुचिता की ओर ध्यान नहीं दिया जाना है। व्यक्ति जैसे ही पवित्रता की तरफ एक कदम बढ़ाता है, उसकी सोच में निखार आता है, उसकी भौतिक प्रगति के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। अन्य लोग भी ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा व आस्था का भाव रखने लगते हैं। जो भी महापुरुष या ऋषि-मुनि इस देश में हुए हैं, उन्होंने साधना के संदर्भ में पवित्रता को विशेष महत्व दिया है। वे ही हमारे प्राचीन व आधुनिक भारत के प्रेरणास्रोत बने। सच तो यह है कि पवित्रता का ध्यान रखे बगैर मानव जीवन का कल्याण संभव नहीं है। हमें इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

आचार्य अनिल वत्स

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

गोरक्षा का भाव

अमेरिका से सबक सीखने की जरूरत शीर्षक से लिखे अपने लेख में बलबीर पुंज ने उसके द्वारा बनाए कुत्ते व बिल्ली की हत्या प्रतिबंधित करने के कानून का उदाहरण देकर भारत में गोवध पर पाबंदी का मुद्दा उठाया है, जो बेहद सामयिक है। बिल्ली-कुत्ते (और घोड़ा, जिसका वध वहां पहले ही प्रतिबंधित है) के बारे में तो वहां के किसी मत-पंथ-संप्रदाय का कोई आग्रह भी नहीं है, केवल जीवदया के वशीभूत होकर ऐसा किया गया, पर भारत में उत्पन्न जितने मत-पंथ-संप्रदाय हैं, सब गाय के प्रति बेहद सम्मान का भाव रखते आए हैं। वैदिक साहित्य में गाय को अघ्न्या (जिसकी हनन या हत्या नहीं की जा सकती) बताया गया है। भगवान बुद्ध ने गाय के विषय में कहा है-गावो नो परमा मित्ता, गावो नो परमो धनः (गाय हमारी परम मित्र है, गाय हमारा परम धन है)। गुरु नानक ने कहा कि 84 लाख योनियों में मनुष्य-योनी से तत्काल पहले गाय की योनी है (अर्थात मानव बनने से एकदम पूर्व गाय के रूप में जन्म लेना होता है)। गुरु गोविंद सिंह ने मां दुर्गा की स्तुति में कहा-यही देहु आज्ञा तुरक गहे खपाऊं, गौघात का दोष जग सिउ मिटाऊं (मुझे आज्ञा दो कि मैं (गाय के हत्यारे) तुर्कों को पकड़कर समाप्त कर डालूं तथा गोहत्या का कलंक जग से मिटा दूं)। जैन मत तो सभी प्रकार की जीव-हत्या का विरोधी है ही। हमारे यहां राम के पुरखे राजा दिलीप ने गाय को बचाने के लिए स्वयं को मौत के मुख में डालना स्वीकार किया था। गुरु अर्जुन देव ने बलिदान होते-होते गाय का जीवन बचाया। निरंकारी सद्गुरु रामसिंह कूका के 68 शिष्य 1872 में गाय बचाने के लिए शहीद हो गए। बाबा साहब आंबेडकर ने न्यूयॉर्क के कोलंबिया विवि के छात्रावास में रहना इसीलिए अस्वीकार किया था कि वहां पर गाय का मांस भोजन का हिस्सा था। गोरक्षा के लिए इतना जबर्दस्त भाव भारत में होते हुए भी तथा संविधान के अनुच्छेद 48 में उसके समर्थन में नीति-निर्देशक सिद्धांत के रहते हुए भी यहां गाय की हत्या होती रहे, ये हृदय-विदारक बात है।

अजय मित्तल, मेरठ

ई-वाहन से मिलेगी सहूलियत

प्रदूषण की मार झेल रहे देश के बड़े महानगरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को जल्द लाना चाहिए, ताकि महानगर प्रदूषण मुक्त हो सकें। इसके लिए भारत बहुत तेजी से ई-वाहनों के क्षेत्र में तैयारियां कर रहा है। भारत सरकार ने परमिट से संबंधित आवश्यकताओं में सहूलियत देने का फैसला किया है। भारत सरकार ई-वाहन चालकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग तथा कई शहरों में प्रति तीन किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन तैयार करने की नीति बना रही है। शुरुआत में ई-वाहनों के लिए भारत के 11 शहरों को चुना गया है। इसके साथ ही सरकार ने ई-वाहनों को विशेष हरित लाइसेंस प्लेट की अनुमति भी दी है। इस वर्ष जितनी तेजी से भारत ने ई-वाहन के क्षेत्र में तेजी से प्रयास किया है उससे कुछ सालों बाद ई-वाहन की बिक्री में तेजी आना संभव है। बिक्री में वृद्धि के लिए सर्वप्रथम बड़ी निजी टैक्सी सेवा कंपनियों को भी जल्द ही ई-वाहनों को प्राथमिकता देकर सड़कों दौड़ाना चाहिए। ऐसे में पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है।

vermakashish66@gmail.com

युवाओं के हाथ में बागडोर

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में (जेएनयू) हर सीट पर चाहे वह अध्यक्ष पद हो या फिर महासचिव, भारी मतों से लेफ्ट की जीत हुई है। भले ही यह एक विश्वविद्यालय स्तरीय चुनाव था, लेकिन भाजपा समर्थित एबीवीपी के इस हस्र को देखते हुए भाजपा को 2019 लोकसभा चुनाव में सचेत रहने की काफी आवश्यकता है, क्योंकि जेएनयू के सभी मतदाता युवा थे और हम युवाओं पर ही देश को बदलने की जिम्मेदारी है। अब अगर युवा विश्वविद्यालय में हालात बदल सकते हैं तो वह देश भी बदल लेंगे।

navin.patna007@gmail.com

आखिर जिम्मेदार कौन?

स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद आज भी देश में जातिवाद की जड़ें आजादी पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। आज भी मानवता को शर्मसार करता जातिवाद इंसान को इंसान से भेदभाव करना सिखाता है। देश की स्वतंत्रता का संघर्ष केवल विदेशी पराधीनता के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि इस जातिवाद, शैक्षिक भेदभाव, आर्थिक विषमता और शोषण के विरुद्ध महात्मा गांधी के स्वप्निल रामराज्य युक्त भारत के समर्थन में संघर्ष था, जिसकी प्राप्ति के बाद न जातिवाद होगा, न सामंतवाद होगा। एक ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र का स्वप्न महात्मा गांधी और वीर अमर बलिदानियों ने देखा और उसके लिए प्राण बलिदान किए। लेकिन, स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात आज भी शिक्षित भारत में जातिवाद का अंधेरा व्याप्त है आज भी लोगों को निम्न जाति के कारण मंदिर में पूजा करने, तो कहीं गाजे बाजे से बारात निकालने, कहीं मूछ रखने तो कहीं पगड़ी पहनने पर पीटा जाता है। आज ऐसी भयावह स्थिति के लिए आखिर कौन दोषी है? क्या राजनीति और सत्ता की भूख इसके लिए दोषी नहीं? आखिर क्यों अब तक जातिवाद देश में विराजित है? क्या कानून बना देने मात्र से जातिवाद समाप्त हो सकेगा? क्या जातिवाद समापन के लिए मानसिकता परिवर्तन और उसके लिए प्रचुर शिक्षा का होना आवश्यक नहीं? वास्तविकता तो यही है कि देश में शिक्षा और उसके मौलिक विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि शिक्षा का व्यावसायिकरण करके शहरों तक रोक लिया गया।

bsinghholkar@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सरसंघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने अपने उद्बोधन से पूर्व कलाकारों के साथ आत्मीयता से भेंट की एवं विचार रखे। उन्होंने कहा कि कलाकारों को लोकशक्ति को जगाना होगा और लोकशक्ति बिना प्राचीन संस्कृति को जगाए रखना संभव नहीं।

मालिनी अवस्थी@maliniawasthi

एक दिन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि एचएएल लड़ाकू विमान बनाने में अक्षम हैं। फिर दूसरे ही दिन वह कहती हैं कि एचएएल इसमें सक्षम है और 14 किस्म के विमान और हेलीकॉप्टर बना चुकी है। एक झूठ के लिए सौ झूठ।

प्रियंका चतुर्वेदी@priyankac19

भाजपा नेताओं का अहंकार देखिए कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सवाल पूछने पर तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष तमिलसाई के समर्थकों ने ऑटो चालक की ही पिटाई कर दी।

शब्बीर अहमद@Ahmedshabbir20

नग्न अवस्था में गाड़ी चलाने पर मेरठ में गिरफ्तार किए गए दो चीनी नागरिकों ने कहा कि उन्होंने भारतीय बीयर पी ली थी जिसका उन पर ऐसा नशा चढ़ा कि वे अपनी सुध-बुध खो बैठे। उनमें से एक चीनी कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट है।

अनंत कृष्णन@ananthkrishnan

जनपथ

संसद में तो चल गई बाहर मारी आंख,
तो गिरने लग जायगी खानदान की साख।
खानदान की साख जायगी सबकी इज्जत,
क्यों बेमतलब आप कराते रहते हुज्जत।
जहां भले इंसान वहां ना पिटवाओ भद,
हर नुक्कड़-हर मोड़ नहीं होती है संसद!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 29 अंक 64